आयुष्मान भारत

एक परिचय जानकारी

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यू-एच-सी) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना "आयुष्मान भारत" का प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशंसित किया गया। इस पहल का उद्देश्य है की "कोई भी पीछे ना छूटे।" सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीय स्वास्थ्य सेवा के अधिक खर्चे से गरीबी की रेखा से नीचे पहुँच जाते हैं।

"आयुष्मान भारत" स्वास्थ्य सेवा में एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली(निवारण, बढ़ावा देना एवं एंबुलेटरी देखभाल)

इसके अंतर्गत दो घटक शामिल हैं, जो निम्नलिखित है- :

1. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs)

आयुष्मान भारत के तहत फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs) बनाने की घोषणा की। यह पहल, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश हैं। इन केंद्रों में नि:शुल्क आवश्यक दवाइयाँ, गैर-संचारी रोगों सहित नैदानिक एवं मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

इसकी परिकल्पना अपने क्षेत्र की संपूर्ण आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सार्वभौमिकता के लक्ष्य से की गई। समुदायों में स्वस्थ व्यवहारों को अपनाने और लोगों को स्वस्थ व सशक्त बनाने के लिए की गयीं हैं ताकि वे जटिल बीमारियों और उनसे उत्पन जोखिम से सुरक्षित रह सकें।

2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे लोग (पीएम-जय- PM-JAY) के नाम जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। इसका खूब प्रचार किया गया | आयुष्मान भारत (पीएम-जय) को सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहा गया है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा हैं। यह संख्या और शामिल परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मापदण्डों पर आधारित हैं।

पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (RSBY) का विलय इसमें किया गया। इसलिए पीएमजेएवाई-PMJAY) के तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो RSBY में उल्लिखित थे | यह PMJAY पूरी तरह से एक सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है जिसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बाटी गई है।

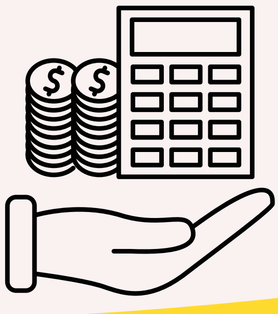

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
परिचय व जानकारी

चरण एक - 1 योजना में लाभार्थी कौन

2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना

सूची में नाम देखना- वेबसाईट, आरोग्य मित्र व बी.सी.पी.एम. के पास

नाम देखकर आयुष्मान कार्ड/ गोल्डन/ प्लास्टिक कार्ड बनवाना

चरण- 2 शिकायत निवारण व्यवस्था

टोल फ्री नंबर-
1800111565
व 14555

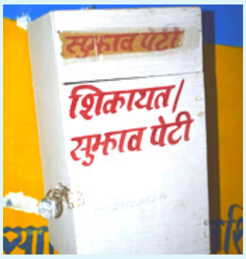

शिकायत पेटी में लिखित शिकायत पत्र डालकर

- शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.cgrms.pmjay.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं |
- प्रदेश के सभी जनपदों में जिला शिकायत नोडल अधिकारी **(DGNO)** के कार्यालय में शिकायत जमा कर सकते हैं |
- इसके अतिरिक्त शिकायतों के लिए योजना द्वारा स्थापित कॉल सेंटर पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज किया जा सकता है |

चरण - 3
PM-JAY लाभ लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री के चिट्ठी या आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल जाना

आरोग्य मित्र द्वारा पंजीकरण और पैकेज बुक करना

ऑपरेशान की दशा में लेटे हुए मरीज का फोटो लेना

सामान्दय भर्ती की दशा में लेटे हुए मरीज का फोटो लेना

मरीज की सभी रिपोर्ट व दस्तावेज जमा करना

डिस्चार्ज से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराना

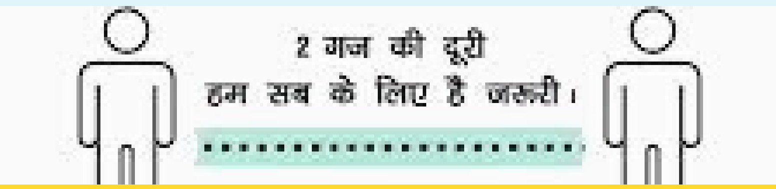

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना -PMJAY)
की मुख्य विशेषताएं व लाभ

भारत में कई राज्यों में विभिन्न सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनायें रही है जिनके अंतर्गत प्रति परिवार को अलग अलग धन राशि मुहैया कराई जाती थी। लेकिन यह पीएम-जेएवाई समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार नि:शुल्क उपलब्ध हैं-

- यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है |
- यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहया कराती है।
- **10.74** करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
- पीएम-जेएवाई इमसे जुड़ें "अस्पताल पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएँ कैशलेस सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराइ जाती हैं।
- भर्ती रहने तक दवाइयाँ और चिकित्सा का पूरा खर्च (कैशलेस)
- इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें महिलाओं, लड़कियों व बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी |
- इस योजना के तहत पहले से चली आ रही गम्भीर व कम गंभीर बीमारियों (दिल की बीमारी, कैंसर, डायबटीज़ आदि) को भी शामिल किया गया है।
- ओपीडी व प्राथमिक स्तर की सेवायें इसमें कवर नहीं की गई हैं |
- यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट गया है तो उसका आधार लेकर PHC प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में आरोग्य मित्र के पास जाकर नाम जोड़ा जा सकता है |
- पीएमजेएवाई एक पोर्टेबल योजना है यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
- इस योजना में लगभग 1400 बीमारीओं तक पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क इत्यादि शामिल है।
- चिकित्सा शिकायतें/आरोप सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने व खाने का ख़र्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के लिए अतिरिक्त जांचों का खर्चा
- गोल्डन कार्ड/आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आरोग्य मित्र द्वारा कोई शुल्क नही लिया जाता है और जन सुविधा केंद्र में 30 रु० का भुगतान करना होगा |

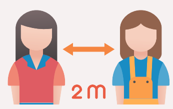

कोविड टीका के बाद भी हाथ धुलना **व मास्क और 2 गज दूरी का पालन करें**

संपर्क : A-240, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016 ई-मेल: kritirc@sahayogindia.org
वेबसाइट: www.sahayogindia.org

PAI
pai.org

***सीमित वितरण हेतु**